

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] No. 368] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2003/श्रावण 13, 1925

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2003/SRAVANA 13, 1925

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 1 मार्च, 2003

सं. फेमा. 86/2003-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 629(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (क) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 19/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा

(क) उप विनियम (2) में,

i) खंड (i) के द्वितीय परंतुक में "50 मिलियन अमरीकी डॉलर", अंक और शब्दों के लिए "100 मिलियन अमरीकी डॉलर" अंक और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

- ii) खंड (iii) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः
 "iii)जायज कारोबार करने वाले विदेशी संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वाधिकृत सहायक
 कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है"
- ख) उप-विनिमय (3) में,
 - i) खंड (ii) में "50 प्रतिशत से अनिधक" अंक और शब्दों के बदले "100 प्रतिशत तक" अंक और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;
 - ii) परंतुक निकाल दिया जाए ।

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड II] कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA (Exchange Control Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION

Mumbai, the 1st March, 2003 No. FEMA 86/2003-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 6 and Subsection (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 19/RB-2000, dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amends to the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2000, as amended from time to time namely:—

Short Title and Commencement

- 1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2000, in Regulation 6 -

- a) in sub-regulation (2),
 - i) in clause (i), in the second proviso, for the words and figure "US \$ 50 million", the words and figure "US \$ 100 million", shall be substituted;
 - ii) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(iii) The direct investment is made in the overseas JV or WOS engaged in a bonafide business activity;"

- b) in sub-regulation (3),
 - (i) in clause (ii), for the words and figure "not exceeding 50%," the words and figure "up to 100%," shall be substituted:
 - (ii) the proviso shall be omitted.

[F. No. 1/23/EC/2000-Vol.-II]
K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना मुंबई, 8 जुलाई, 2003 सं. फेमा. 97/2003-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्रिसंपत्तियों का प्रेषण) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 630(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग और दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 13/2000—आरबी और दिनांक 13 मई, 2002 की अधिसूचना सं. फेमा. 62/2002—आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्रिसंपित्तयों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (i) यह विनियमावली विदेशी "विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण)(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2003" कहलाएगी ।
 - (ii) यह भारत सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

विनियमावली में संशोधन

- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 में
 - (क) (i) उप विनियम (2) में शब्दों और अंकों के लिए

"1,00,000 अमरीकी डॉलर (केवल एक लाख अमरीकी डॉलर)" शब्दों और अंकों के बदले "1,000,000 अमरीकी डॉलर (केवल एक मिलियन अमरीकी डॉलर)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (ii) खण्ड (क) के बदले निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामतः : -
 - "(क) प्रेषणक द्वारा परिसंपत्ति के अभिग्रहण, उत्तराधिकार या वसीयत के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, और"

- (ख) उपविनियम (3) के बदले निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः : -
 - "(3) कोई अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/भारतीय मूल की व्यक्ति (पीआईओ), भारत में अपने एनआरओ खाते में जमा राशियों से /परिसंपत्ति/उत्तराधिकार/वसीयत से अभिगृहीत परिसंपत्ति के विक्री आय से, उपविनियम (2)(क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रति कैलेंडर वर्ष अधिकतम 1,000,000 अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) राशि प्रेषित कर सकता है;

बशर्ते कि अचल संपत्ति की विक्री आय के प्रेषण के संबंध में, संपत्ति/विक्री आय दोनों मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक धारित हो;

इसके अलावा, यह भी कि, जहां प्रेषण एक से अधिक किस्तों में भेजा जाता है वहां सभी किस्तों का प्रेषण उसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से किया जाए ।"

- 3. विनियम (6) के उप विनियम (1) के खण्ड (i) के बदले निम्नितिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-
 - "(i) कैलेंडर वर्ष में 1,000,000 अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) से अधिक प्रेषण, :-
 - (क) भारत के बाहर का स्थायी निवासी विदेशी नागरिक को वसीयत या उत्तराधिकार के कारण और
 - (ख) अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/भारतीय मृल के व्यक्ति (पीआईओ) द्वारा भारत में एनआरओ खातें में जमा राशियों/परिसंपत्तियों की विक्री आय उत्तराधिकार/वसीयत में अभिगृहीत परिसंपत्ति से"।

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II] उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th July, 2003 No. FEMA 97/2003-RB

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Second Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of Notification No. FEMA 13/2000-RB dated 3rd May, 2000 and Notification No. FEMA 62/2002-RB dated 13th May, 2002, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000, namely:—

Short title and commencement :-

1. (i) These Regulations may be called the "Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Second Amendment) Regulations, 2003".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations :-

- 2. In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000, in Regulation 4,
 - (a) (i) in sub-regulation (2), for the words and figures,

"US\$ 1,00,000 (US Dollar One lakh only)" shall be substituted with the words and figures, "US\$ 1,000,000 (US Dollar One million only)",

- (ii) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(a) documentary evidence in support of acquisition, inheritance or legacy of assets by the remitter and"
- (b) for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(3) A Non-resident Indian (NRI)/Person of Indian Origin (PIO), may remit an amount, not exceeding US\$ 1,000,000 (US Dollar One million only) per calendar year, out of the balances held in NRO accounts/sale proceeds of assets/the assets in India acquired by him by way of inheritance/legacy, on production of the documents detailed in subregulation (2)(a) and (b);

Provided that in respect of remittance of sale proceeds of immovable property, the property/sale proceeds were held/retained as deposits cumulatively for a minimum period of 10 years;

Provided further that where the remittance is made in more than one instalment, the remittance of all instalments shall be made through the same authorised dealer."

- 3. In Regulation 6, in sub-regulation (1), for clause (i) the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(i) Remittance exceeding US\$ 1,000,000 (US Dollar One million only) per calendar year —
 - (a) on account of legacy, bequest or inheritance to a citizen of foreign state, permanently resident outside India and
 - (b) by a Non-Resident Indian (NRI)/Person of Indian Origin (PIO), out of the balances held in NRO accounts/sale proceeds of assets/the assets in India acquired by way of inheritance/legacy."

[F. No. 1/23/EC/2000-Vol.-II] USHA THORAT, Executive Director